

क्रम सं. _____

फॉर्म डीए1 नामांकन फॉर्म (कृपया उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनें) केवल व्यक्ति/एकल स्वामी के लिए लागू

- हां, मुझे/हमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुभाग 45जेडए और बैंक जमाराशि के संबंध में बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) के अधीन नामांकन की आवश्यकता है।
- नहीं मैं/हम इसकी पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें येस बैंक के अधिकारियों द्वारा मेरे/हमारे बैंक खाता की नामांकन सुविधा के लाभ के बारे में बताया गया है। हालांकि, मैं/हम यह व्यक्त करता हूँ/करते हैं कि बताए गए लाभों की व्याख्या के बावजूद, मैं/हम खाता के लिए किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया नामांकन सुविधा के बिना मेरा/हमारा खाता खोलने की प्रक्रिया संसाधित करें****।

मैं/हम

नाम और पता(ते)

निम्न व्यक्ति को नामित करता हूँ/करते हैं, जिसे मेरे/मेरे अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में खाता में जमा की गई राशि, ब्यारे जैसेकि नीचे दिए गए हैं, येस बैंक लिमिटेड द्वारा वापस किए जा सकते हैं।

जमा/खाता
स्वरूप

अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो

नामित का नाम (नामांकन केवल किसी व्यक्ति के पक्ष में होनी चाहिए)

नाम और पता(ते)

जमाकर्ता से संबंध, यदि कोई हो.....आयु.....यदि नाबालिग हो, तो नामित व्यक्ति का जन्म दिनांक

दि. दि. मा. मा. व. व. व. व.

*चूंकि नामित व्यक्ति आज दिनांक को नाबालिग है, अतः मैं/हम नामित व्यक्ति के नाबालिग होने के दौरान मेरी/नाबालिग की मृत्यु होने की स्थिति में श्री/श्रीमती/

कु. (नाम)(आयु).....

(पता).....

.....को खाते में जमा राशि नामित व्यक्ति की ओर से प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

मैं सहमत हूँ/ सहमत नहीं हूँ कि मेरे नामित व्यक्ति का नाम सावधि जमा रसीद/खातों के विवरण और/या अन्य दस्तावेजों/पत्रों में प्रदर्शित हो।*प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान
(यदि आवेदक अवयस्क है, तो संरक्षक के हस्ताक्षर)

**दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

***तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

***प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर

***द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

नाम

पता

पता

दिनांक : स्थान

* यदि नामित अवयस्क नहीं है, तो काट दें

** जहां अवयस्क के नाम पर जमा किया गया है/खाता अवयस्क के नाम पर है, नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जो अवयस्क की ओर से वैधिक रूप से कार्य करने के हकदार हों।

*** साक्षी के हस्ताक्षर केवल उन मामलों में आवश्यक हैं, जहां ग्राहक अंगुठे के निशान दे रहे हों।

**** ग्राहक के नामांकन का चुनाव न करने की स्थिति में यह घोषणा अनिवार्य रूप से किए जाने की आवश्यकता है